न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2578–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत 2 खातेगांव जिला देवास प्रकरण कमांक 61/अ–12/2015–16.

श्रीमती मीना देवी पत्नी संजय खन्डेलवाल
निवासी नेहरू पार्क के सामने हरदा
तहसील एवं जिला हरदा .....आवेदिका

विरूद्ध

नितीन कुमार आ0 छगनलाल ब्राहम्मण
निवासी ग्राम बजवाडा
तहसील खातेगांव जिला देवास .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदिका
श्री बी0 राज पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत 2 खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम बजवाडा तहसील खातेगांव जिला देवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 23/1 रकबा 1.09 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत 2 खातेगांव जिला देवास द्वारा प्रकरण कमांक 61/अ–12–/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 25–5–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को विधिवत सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है, और पड़ोसी कृषकों को भी सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका पर सूचना पत्र की तामीली विधिवत नहीं हुई है, क्योंकि सूचना पत्र में अलग से यह अंकित किया जाना परिलक्षित होता है कि मीना बाई ने सूचना पत्र लेने से इन्कार कर दिया । इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रकरण में फील्डबुक भी संलग्न नहीं है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत 2 खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 25--5--16 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे दोबारा विधिवत संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदकगण सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर